



## बार्कलेज Application form for DD/PO Issuance

HINDI VERSION

डीडी/पीओ जारी करणे के लिए अर्ज

शाखा : वरळी, मुंबई

दिनांक : .....

कृपया मेरे/हमारे खातेकी संख्या डेबिट करनेकी व्यवस्था करे..... नामसे (खातेके नामपे) ..... या जोडनेपर रू. .... (अक्षरी रूपये) .....

डीडी  पीओ

अनु. क्र.	के बाजुसे	जगह देय	रकम

एनआरई/एनआरओ/व्यवहारका वर्णन करने के लिए देय कारण .....

अधिकृत स्वाक्षरीकर्ताओं कि स्वाक्षरी (फर्म/कंपनी के मुद्रांक .....

कृपया हातसे ड्राफ्ट हस्तांतरित करे जिसकी हस्ताक्षर निचे सत्यपित किइ है।

बेअररकी हस्ताक्षर ..... ग्राहक/अधिकृत हस्ताक्षर कर्ताद्वारे साक्षांकित .....

सिर्फ कार्यालयीन उपयोग के लिए		
शुरू होनेका समय _____		द्वारे व्यवहार हस्तांतरित
विनंती व्यक्ति/फॅक्स/ईमेल/कुरियर/ई विनंती मे		हस्तांतरण अधिकृत
व्यवहार संदर्भ क्रमांक		

## Terms and Conditions for D.D./P.O. (HINDI)

### शर्तें और नियम

बार्कलेज बैंक पीएलसी ["बार्कलेज बैंक" के तौर पर संदर्भित] इस निर्देश फार्म में ["निर्देश"] को ग्राहकने दिये हुए अुपेरी जानकारी के आधार पर कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा ।

- एक बार जारी किए हुए निर्देश अंतिम और अपरिवर्तनीय होगी और ग्राहक समझता है की, निर्देश पीछे लेने का अधिकार ग्राहकको नहीं है । ।
- लाभार्थी और व्यवहारों से संबंधित पूरी जानकारी के लिए ग्राहक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा । ग्राहकने कबूल किया है की इस जानकारी को सत्यापित करने की जिम्मेदारी बार्कलेज बैंक की नहीं होगी ।
- ग्राहक यह मानता है की इस व्यवहार में विविध पक्ष समाविष्ट है । ग्राहक इस तरह पुष्टी करता है की बार्कलेज बैंक के नियंत्रण के बाहर होने वाली घटनाओं के कारण जैसे की सिस्टम प्रतिबंध या कोई भी परिस्थिती के कारण, यदि व्यवहार के पूर्तता में विलंब होता है तो उसके लिए बार्कलेज जिम्मेदार नहीं रहेगा ।
- ग्राहक सूचना फार्म में बदलाव लिए जानेपर वहाँ ग्राहक हस्ताक्षर करेगा और ऐसे बदलाव की जिम्मेदारी ग्राहक की रहेगी ।
- यह निर्देश देते हुए ग्राहक खाते में निधी होने का सुनिश्चित करे ।
- सर्व भुगतान संबंधी सूचना सावधानी से पढ़े, विशेषतः लाभार्थी का नाम एवं खाता संख्या ठीक से जांचे ।
- ग्राहक यह मानता है की बार्कलेज बैंक किसी भी समय उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन कर सकता है । ऐसे होने पर परिवर्तित शर्तें ग्राहकको लागू होगी ।
- यह सूचना भारत में लागू होनेवाले कानून के अनुसार अधीन है ।
- ग्राहक यह समझता है की डिमांड ड्राफ्ट रद्द करने का आवेदन तभी स्वीकार किया जायेगा, जब रद्द करने का फार्म एवं मूल डिमांड ड्राफ्ट बैंक को सुपूर्द किया जाएगा । मूल डिमांड ड्राफ्ट उपलब्ध ना होने पर बैंक के नियमों के अनुसार बाकी दस्तावेज ग्राहक को देने होंगे ।